बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-188/2018 147 /,पटना, दिनांक – 3.2.2[illegible]

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना–उप शीर्ष–0113, अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789–ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–09 में अंकित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2021–22** के लिए **01** (एक) योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–09 में अंकित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :–

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonpur	Sonpur	SC	Dumri Buzurg Gola Par to NH-19	10723	0.600	365	85.100
			Total	1		0.600		85.100

2. विभागीय सचिव द्वारा निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–
   - (क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2021–22** एवं वर्ष **2022–23** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
   - (ख) कार्यपालक अभियंता योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
   - (ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
   - (घ) कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
   - (ङ) इस योजना के पंचवर्षीय रख–रखाव की राशि 3054 मद से भारित किया जाएगा।
3. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**44/2013** के पृष्ठ–74 / टि० पर प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**188/2018** के पृष्ठ–.....53..../ टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8 (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05. निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्र के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अ में नहीं।

(ङ.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदे प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योज कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

(छ) कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तारीख' तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्य विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आं वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-188/2018 संख्या–53/टि0 पर दिनांक 14.1.22 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/1/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-188/2018 147 /पटना, दिनांक – 3.2.2

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वि सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, छपरा/उपविक आयुक्त, छपरा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण विभाग/मुख्य अभियंता–3, पटना/मुख्य अभियंता–4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपाल अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **सोनपुर**/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपल करने हेतु प्रेषित।

29/1/2022

सरकार के विशेष सचिव